अनुदान संख्या 20 - संस्कृति मंत्रालय
GRANT No. 20–MINISTRY OF CULTURE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	803,47,00		803,50,00	645,56,16	–157,93,84
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					149,70,08
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			61,80,00	25,34,02	–36,45,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					20,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '2251'' सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	1500.00	1303.50	1252.12	–51.38
पु.	R.	–196.50			
मुख्य शीर्ष '2205'' कला और संस्कृति	Major Head "2205" Art and Culture				
मू.	O.	72986.00	63792.92	63070.68	–722.24
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	–9196.08			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					.(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552''	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5511.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5511.00			

(I) 5569.00 रु. का प्रावधान छ: शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 5511.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2552''- ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.5569.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.5511.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure – Lumpsum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Areas" - due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - संस्कृति विभाग'' के अंतर्गत 196.15 लाख रु. की बचत (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों को न रखे जाने तथा कार्मिकों द्वाराकम संख्या में विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251"- "Secretariat-Department of Culture"- saving of Rs.196.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs) was due to lack of proposals under Information Technology Scheme and less number of foreign tours by officials.

(III) मुख्य शीर्ष ''2205'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं-

(III) Under Major Head "2205"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''कला और संस्कृति का संवर्धन'' -

(A) "Promotion of Art and Culture"-

(क) ''अन्य स्कीमें'' - 3335.00 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2005 तथा मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 14831.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा समय पर खालसा दाय परियोजना के लिए पंजाब सरकार को एक बार के लिए अनुदान प्रदान किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित न किए जाने तथा साथ ही पूरे प्रस्ताव प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Other Schemes" - saving of Rs.3335.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.14831.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.50 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006) was due to non-approval of proposal for one time grant to Government of Punjab for Khalsa Heritage Project by the Cabinet in time and also on account of non-receipt of complete proposals.

(ख) ''राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली'' - 100.67 लाख रु. की बचत (535.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रदर्शनियों को अगले वित्तीय वर्ष तक के लिए स्थगित किए जाने तथा कला क्रय समिति का समय पर गठन न किए जाने की वजह से कला संबंधी खरीद को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) 'गांधी शांति पुरस्कार' - 129.94 लाख रु. की बचत (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान गांधी शांति पुरस्कार प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) 'सार्वजनिक पुस्तकालय' -

(क) 'राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता' - 329.33 लाख रु. की बचत (1980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य स्कीमें'' - 1911.03 लाख रु. की बचत (2040.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(गा) ''भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण'' -

(क) 'प्राचीन स्मारकों का संरक्षण' - 1393.74 लाख रु. की बचत (12871.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से व्यावसायिक प्रभारों के लिए मांग न किए जाने के कारण हुई।

(ख) 'पुरातत्व अन्वेषण और उत्खनन' - 221.54 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''निर्माण कार्य'' - 322.69 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "National Gallery of Modern Art, New Delhi"- saving of Rs.100.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.535.00 lakhs) was due to postponement of certain exhibitions to next financial year and non-materialisation of art purchase owing to non-constitution of Art Purchase Committee in time.

(c) "Gandhi Peace Prize"- saving of Rs.129.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs) was due to non-awarding of Gandhi Peace Prize during the year.

(B) "Public Library"-

(a) "National Library, Kolkata"- saving of Rs.329.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1980.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(b) "Other Schemes" - saving of Rs.1911.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2040.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(C) "Archaeological Survey of India" –

(a) "Conservation of Ancient Monuments" – saving of Rs.1393.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12871.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage and lack of demand for professional charges from Central Industrial Security Force by Archeological Survey of India.

(b) "Archaeological Exploration and Excavations" – saving of Rs.221.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs);

(c) "Works" – saving of Rs.322.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs);

(घ) 'केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय' - 557.73 लाख रु. की बचत (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "संग्रहालय' -

(क) "विज्ञान नगर' - 1200.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय संग्रहालय' - 1407.73 लाख रु. की बचत (2504.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, आधुनिकीकरण परियोजनाओं का निष्पादन न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ग) 'राष्ट्रीय कला संरक्षण इतिहास और संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान' - 256.00 लाख रु. की बचत (362.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोएडा भवन परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत 222.72 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1357.57 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में मुख्य शीर्ष "2205"- "संग्रहालय' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद - 175.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 174.50 लाख रु. था।

(d) "Central Archaeological Museum" - saving of Rs.557.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs); and

(D) "Museums" –

(a) "Science Cities"- saving of Rs.1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(b) "National Museum" - saving of Rs.1407.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2504.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-execution of modernisation projects and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(c) "National Museum Institute of History of Arts Conservation and Museology"- saving of Rs.256.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.362.00 lakhs) was due to non-finalisation of NOIDA building project.

(IV) Under three heads savings of Rs.222.72 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 36 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1357.57 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.3.00 lakhs in December, 2005 and March, 2006 under Major Head "2205" -"Museums" under the following heads:-

(A) "Salar Jung Museum, Hyderabad" – Rs.175.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.174.50 lakhs.

(खा) ''भारतीय संग्रहालय, कोलकाता' - 1182.57 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1182.07 लाख रु. था।

(B) "Indian Museum, Kolkata" – Rs.1182.57 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1182.07 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2205'' - 'कला और संस्कृति का संवर्धन - सांस्कृतिक संस्थानों को सहायता अनुदान के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 161.76 लाख रु. का अधिक व्यय (8689.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2205" - "Promotion of Art and Culture - Grants-in-aid to Cultural Institutions" – excess of Rs.161.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8689.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4202'' शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	6180.00	4180.00	2534.02	–1645.98
पु.	R.	–2000.00			

(I) 'कला और संस्कृति' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under "Art and Culture" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''अभिलेखागार - भवन' - 155.74 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, भुवनेश्वर में रिकार्ड कक्ष के अभिन्यास को अंतिम रूप न दिए जाने तथा रिकार्ड केंद्र, पांडिचेरीके लिए भूमि का अधिग्रहण न किए जाने कारण हुई।

(A) "Archives – Buildings"- saving of Rs.155.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-finalisation of layout of the National Archieves of India record room at Bhubaneshwar and non-acquisition of land for record centre, Pondicherry.

(खा) 'संग्रहालय - भवन' - 787.69 लाख रु. की बचत (2380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने, राष्ट्रीय संग्रहालय के तीसरे चरणको प्रारंभ न किए जाने

(B) "Museums - Buildings" - saving of Rs.787.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2380.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at the revised estimates stage, non-starting of III phase of National

तथा राष्ट्रीय आधुनिक कलादीर्घालय के कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

Museum and slow progress of work at National Gallery of Modern Art.

(गा) ''भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण - भवन'' - 1160.76 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Archaeological Survey of India - Buildings" - saving of Rs.1160.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs); and

(घा) ''मानवविज्ञान सर्वेक्षण - भवन'' - 1482.04 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हुई।

(D) "Anthropological Survey – Buildings" – saving of Rs.1482.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage and non-utilisation of funds by the Central Public Works Department.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.75 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of Rs.59.75 lakhs occurred constituting 60 percent of the sanctioned provision.